फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उंकारलाल | विपक्षी : श्री सत्यनारायण

किस्म मुकदमा –152 सी.पी.सी. | पत्रावली संख्या : 02/25

जीसीएमएस : 2025/5

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण संख्या 223/15 वाद उंकारलाल बनाम सत्यनारायण में निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2024 का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्णय के अन्तिम पैरा में ''लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।'' परन्तु प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें से जिस दस्तावेज के आधार पर डिक्री करवाई गई है उक्त दस्तावेज में सम्पति को 75/– रूपये में क्रय किया जाना बताया गया हैं जबकि सम्पति का अन्तरण अधिनियम 1882 के तहत् सम्पति 100/– रूपये से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकरण में 100/– रूपये से कम की सम्पति थी इसलिए डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत् उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराया जाना आवश्यक नहीं हैं। अतः न्यायालय द्वारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2024 में सेहवन से डिक्री का पंजीयन कराने हेतु अंकित हो गया है जिसे हटाया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 223/15 वाद उंकारलाल बनाम सत्यनारायण में निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2024 में अंकित ''लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2025.01.31 12:37:54 IST
Reason: Self Attested

लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।'' को हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:37:54 IST
Reason: SelfAttested